न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 08 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. दलीपसिंह पुत्र मोडसिंह
2. आशाकंवर पत्नी दलीपसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर(ग्रामीण)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर(ग्रामीण)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री बी.आर.विश्नोई एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर श्री धीरज चौधरी एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांकः–** 11/11/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 एक ही जाति बिरादरी एवं एक ही गांव के मूल निवासी है। जिनकी चल व अचल सम्पति उक्त ग्राम खारिया मीठापुर की सरहद में स्थित है। अप्रार्थी सं. 2 को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण पति पत्नी है जिनकी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम खारिया मीठापुर की सरहद में स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। खाता सं 478 खसरा नम्बर 1939 रकबा 3.6243 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1943 रकबा 0.7766 हेक्टयर, खसरा नम्बर 1944 रकबा 1.3025 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1946 रकबा 0.1780 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1947 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1948/1 रकबा 0.0243 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1949/1 रकबा 0.0081 हेक्टयर है। उपरोकत खाता संख्या 478 पर प्रार्थी सं. 1 का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। इसी क्रम में प्रार्थी सं. 2 के खाता सं. 1332 का विवरण निम्न प्रकार है। खाता सं. 1332 खसरा नम्बर 1940 रकबा 4.1178 हेक्टयर, खसरा नम्बर 1945 रकबा 1.0598 है। जिस पर विगत पीढीयों से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है जिनके

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पडौस में अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है। जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शायी हुई है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी एवं अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की आराजी के मध्य ग्राम खारिया मीठापुर में दोनो की कृषि भूमियों के मध्य से एक रास्ता दक्षिण से उतर की ओर ग्राम खारिया से बेड़ जाने वाली सडक से निकलता है जिसके खसरा नम्बर 1942 रकबा 0.2589 हैक्टयर किस्म गै.मु.रास्ते के नाम से दर्ज है जिसका उपयोग व उपभोग उभय पक्षकारान खेतों में आने जाने के लिए विगत 30 वर्षो से अधिक समय से कर रहे है। कई मर्तबा प्रार्थीगण ने अपनी सीमाओं से संबंधित विवाद के मामले में सीमांकन लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर/हल्का पटवारी से करवाया उवं उभय पक्षकारान की वास्तविक कब्जे काश्त के आधार पर उक्त सीमांकन के मामलें को निपटाने का प्रयास किया किन्तु बाार–बार अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि जिन्हें प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है जिसकी सीमाओं को बार–बार अप्रार्थी सं. 1 अस्थिर कर रहा है। एंव हल्का पटवारी उक्त मामलें में प्रार्थीगण का सीमांकन संबंधी समाधान नहीं कर सकें है। जिसके निपटारे हेतु उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री के समक्ष पेश है। प्रार्थना पत्र के साथ वादग्रस्त आराजी बाबत तमाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं वादग्रस्त आराजी का नक्शा वगैरा साथ में संलग्न है जिसमें सीमा संबंधी उभय पक्षकारान के मध्य उपस्थित सीमांकन संबंधी विवाद भू अभिलेख निरीक्षक अथवा भू अभिलेख अधिकारी द्वारा अन्तर्गत धारा 111 भू राजस्व अधिनियम के तहत निर्धारित रीति से तय किये जाने न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सीमांकन के निस्तारण हेतु तमाम संसाधन उपलब्ध करवाने को तैयार है। अप्रार्थी सं. 1 साशय प्रार्थीगण के साथ हमेशा झगडा फिसाद हेतु आमादा रहते है। एवं इस निमित मामलें के निस्तारण हेतु वादग्रस्त आराजी की बाद सीमांकन साथ–साथ में पत्थरगढी की जाकर स्थायी रूप से सीमांकन किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। जिसके लिए पुलिस इमदाद की भी आवश्यकता मौके पर वक्त सीमांकन आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी ग्राम खारिया मीठापुर की सरहद में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र को सुनकर निस्तारण किये जाने का न्यायालय श्री को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अन्तः में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर न्यायालय श्री से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 में उल्लेखित व तालिका/सारणी में दर्शायी गयी वादग्रस्त आराजी के स्थाई सीमांकन हेतु सीमांकन एवं मौके पर पत्थरगढी करने हेतु एवं स्थाई सीमा चिन्ह कायम करने हेतु संबंधित तहसीलदार बिलाडा को आदेश जारी फरमावें

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम करने हेतु संबंधित एस.एच.ओं को पुलिस इमदाद वक्त जरूरत उपलब्ध करवाने के आदेश जारी फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी 1 की ओर से अधिवक्ता श्री धीरज चौधरी व अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पटेल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विशेष उजरात मय जवाब पेश किया गया जिसके प्रार्थीगण संख्या 1 के पिता व प्रार्थीगण संख्या 2 के ससुर स्व. श्री मोड़सिंह व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य उक्त संपूर्ण भूमि जो सामलाती भूमि थी जिसका दोनों ही पक्षों ने आपसी सहमती से बंटवाड़ा आज से करीब 50 वर्ष पूर्व कर लिया था। उसी बंटवाडे माफिक दोनो पक्षकारों का अलग–अलग कब्जाकाश्त चला आ रहा है । व मौके पर नाप व सींमाज्ञान करवाकर धोरे पाली देकर उक्त खसरान बंट में आयी भूमियों पर पक्षकारान शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे थे। व उक्त भूमि बाबत स्व. श्री मोड़सिंह व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडे को कानुनी रूप दिया जाकर एक लिखित इकरारनामा सन 1986 में किया गया था जिसमें उक्त इकरारनामा में प्रार्थी संख्या 1 ने अपनी साख डाली थी। व उसी अनुसार इकरारनामा बंटवाडा विलेख को प्रार्थी संख्या 1 पिता मोड़सिंह पुत्र श्री भूरसिंह जाति राजपुत निवासी खारिया मिठापूर व अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा आवदेन पत्र के साथ तहसीलदार बिलाडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे दोनो पक्षों को पढ़कर सुनाया गया एवं पक्षकारों ने कोई आपति नही की जिसे उसी अनुसार तहसीलदार बिलाडा द्वारा तस्दीक कर हल्का पटवारी को माफिक बंटवाडे अनुसार म्युटेशन भरने व मौके पर माप व सीमाज्ञान कर अलग–अलग कब्जे माफिक रिकोर्ड में तरमीम करने हेतु आदेशित किया गया व उसी वक्त माफिक बंटवाडे अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अलग–अलग खसरे की भूमि दर्ज की गई उसी बंटवाडे अनुसार उक्त पक्षकारान आज दिन तक अपने हिस्से माफिक भूमि को उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने आज दिन तक उक्त बंटवाडे को चेलेंज नहीं. किया जिस हेतु प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानुनी अधिकार प्राप्त नही होने उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमावा जावें । हल्का पटवारी ने उक्त प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह प्रार्थीगण से मिलिभगत कर तैयार कर प्रार्थीगण द्वारा तैयार करवाकर प्रस्तुत की है। हल्का पटवारी कभी भी मौके पर नही आये न ही पटवारी ने मौका फर्द तैयार करने बाबत अप्रार्थीगण संख्या 1 को सूचित किया है। प्रार्थीगण ने मिलिभगत कर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हल्का पटवारी से गलत रिपोर्ट कर न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसको कानुनी रूप से रेकर्ड पर लेने का कोई प्रावधान नही है। उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें। प्रार्थीगण द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है उक्त मौका रिपोर्ट में अप्रार्थीगण संख्या 1 की कब्जाकाश्त भूमि का कोई नापचौक नही किया गया। इस कारण उक्त मौका फर्द रिपोर्ट निरस्त किया जावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्य सही है कि प्रार्थी और अप्रार्थी एक ही जाति और एक ही गाँव के मुल निवासी है। उक्त पद में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं साबित करें। पद संख्या 02 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पति पत्नी है जो सही है उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य तथ्य प्रार्थी स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 में वर्णित यह तथ्य प्रार्थीगण स्वयं साबित करें एवं खसरा नं. 1942 बाबत मौके पर कोई विवाद नहीं है। व मौके पर आज दिन तक रास्ता चालू है। पद संख्या 4 में वर्णित यह तथ्य गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण नें इस पद में वर्णित तमाम तथ्यों को गलत उल्लेखित किया है। प्रार्थीगण अपनी सीमाओं के संबंध में जो विवाद बता रहा है ऐसा विवाद पक्षकारों के मध्य कभी नही रहा. है। न ही अप्रार्थी संख्या 1 ने सीमाओं को आज दिन तक कभी भी अस्थिर किया न ही कभी अप्रार्थी ने कब्जा ही किया। प्रार्थीगण ने मात्र उक्त प्रार्थना पत्र झुठे व मनगडत तथ्यों को उल्लेखित कर अप्रार्थी संख्या 1 को तंग परेशान व हैरान करने की नियत से पेश किया है। जबकि बंटवाडे के समय ही दोनों पक्षकारोन के मध्य सीमांकन की कार्यवाही हो रखी है एवं उसी अनुसार दोनों पक्षकारोन अपने अपने हिस्से व कब्जे माफिक उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध झुठे फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाये थे। उसी नियत से प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो न्यायालय द्वारा खारिज करवाया जावें। पद संख्या 5 में वर्णित तथ्य मिथ्या व गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण व अप्रार्थी, संख्या 1 की भूमि के मध्य पूर्व में ही सीमाज्ञान हो रखा है। व उसी अनुसार माठें कायम कर रखी है। इस कारण अब पुनः सीमाज्ञान करानें की कोई कानुनी औचित्य नही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 मध्य कभी भी कोई सीमाओं को लेकर विवाद नही रहा न ही कभी झगडा फिसाद रहा। न ही इस संबंध में कोई मुकदमा ही दर्ज हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थीगण के साथ झगडा फिसाद हेतु अमादा नही रहा बल्कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान करने की नियत से झुठे मुकदमें. दर्ज करवाता रहा है। यहाँ ये भी उल्लेखित करना अतिआवश्यक है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 आज से करीब 50 वर्षों से

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पूर्व अपने हिस्से से माफिक बंटवाडा अनुसार आयी कृर्षि भूमि को शांतिपूर्वक उपयाग व उपभोग में लेता चला आ रहा है। व अप्रार्थीगण संख्या 1 ने भूमि संधार हेतु काफी रूपये खर्च कर अपने हिस्से में आई भुमि पर मेडबंदी व काटो की बाड़ व मुटाम लगा कर पत्थर लगा कर उसमें खाद्य डलवाकर काफी सुधार करवाया। जिसको प्रार्थीगण हडप करने की नियत से यह झुठा प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जो खारिज करवाया जावें। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवदेन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 के विरुद्ध खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खारिया मीठापुर में आई हुई है जिसमें बेरा, रास्ता व सडक शामिल है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने खेत, खसरा नंबर काश्त करते है। अप्रार्थीगण ने रास्ते की भूमि के ख.नं. 1942 को लम्बे समय से बन्द कर उसमें बाडा बना लिया है जिसे प्रार्थीगण को आने जाने में परेशानी होती है। जिसका जिक्र आई.एल.आर खारिया मीठापुर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में किया है जिसकी फर्द प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि का सीमाकंन भी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.06.2023 को करवाया गया है। प्रार्थीगण की ईस्तदुआ है कि सीमाज्ञान अनुसार स्वयं की मेड़ पर पत्थरगढी हो जाये, जिसे आपस में खातेदारों में विवाद उत्पन्न नहीं है। तथा समस्या का स्थाई समाधान हो सकें। पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई सीमांकन रिपोर्ट साथ में संलग्न है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भविष्य में माठ को खातेदारों में विवाद पैदा नही हो इस हेतु पत्थरगढ़ी किया जाना उचित है। जिसमें भूमिधारी सहमत है।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से आपति प्रार्थना पत्र पेश की जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 12.06.2023 की फर्द मौका रिपोर्ट न्यायालय श्री में प्रस्तुत की है, जो गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर आधारित होने से अस्वीकार है। भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण से मिलीभगत व सांठगाठ कर अप्रार्थी संख्या 1 को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही पटवार भवन में बैठकर उक्त गलत व मिथ्या मौका रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश की है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के किसी प्रकार से हस्ताक्षर नही है तथा न ही उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अप्रार्थी संख्या 1 को कोई नोटिस दिया जाकर तलब किया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट में

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

किसी भी स्वतंत्र मौतबीर व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है, न ही अप्रार्थी संख्या 1 के सूचना के बावजूद हाजिर नही होने का नोट ही अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार ही नही की गयी। उक्त मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य पूर्व में वर्ष 1986 में हुए रजिस्टर्ड बंटवाड़े के आधार पर मौका रिपोर्ट तैयार न कर वर्तमान ऑनलाईन नक्शे के अनुसार काल्पनिक नाप कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर माननीय न्यायालय में पेश की गयी है जो गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पूर्वज व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य सन् 1986 में बंटवाड़ा हो चुका था, माफिक बंटवाड़ा अनुसार मौके पर दोनो पक्षकारान द्वारा अपनी–अपनी सीमाए कायम कर माठे की हुई है, जिसको अपने–अपने बंट अनुसार उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। उक्त बंटवाड़ा वर्ष 1986 में तहसील कार्यालय में रजिस्टर्ड हो रखा है, जिसकी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 को जानकारी होने के बावजुद भी उक्त बंटवाड़े को दरकिनार कर गलत मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर न्यायालय में पेश की है, जो देखने मात्र से ही काल्पनिक व फर्जी साबित होती है।

अतः आपति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पेश मौका रिपोर्ट को रेकर्ड पर नही लिया जावे तथा अन्य भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की टीम गठित की जाकर वर्ष 1986 में प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य हुए बंटवाड़े के अनुसार तरमीम किये हुए नक्शे के आधार पर उनसे पुनः प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने का आदेश जारी फरमावे

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गयी ओर बहस में कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने एवं मौका रिपोर्ट को रेकर्ड पर नहीं लिए जाने का निवेदन किया। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य पूर्व में वर्ष 1986 में रजिस्टर्ड बंटवाडे के आधार मौका रिपोर्ट तैयार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 सरकारी पैरोकार ने भविष्य में माठ को खातेदारों में विवाद पैदा नहीं हो इस हेतु पत्थरगढी किये जाने की सहमति प्रदान की है। सरकारी पैरोकार द्वारा बताया गया कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित खसरान का सीमाकंन प्रार्थीगण व मौतबिरान की उपस्थिति में दिनांक 12.06.2023 की मौका फर्द के अनुसार किया जा चुका है। किन्तु फर्द मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी सं. 1 ने आपति पेश की जिसके अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण से मिलीभगत व सांठगाठ कर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी सं. 1 को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही पटवार भवन में बैठकर उक्त गलत व मिथ्या मौका रिपोर्ट तैयार की है। जिस पर अप्रार्थी सं. 1 के किसी प्रकार से हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अप्रार्थी सं. 1 को कोई नोटिस दिया जाकर तलब किया गया है। फर्द मौका पर स्वतंत्र मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 1939 रकबा 3.6243 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1943 रकबा 0.7766 हेक्टयर, खसरा नम्बर 1944 रकबा 1.3025 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1946 रकबा 0.1780 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1947 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1948/1 रकबा 0.0243 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1949/1 रकबा 0.0081 हेक्टयर, खसरा नंबर 1940 रकबा 4.1178 हैक्टयर, खसरा नंबर 1945 रकबा 1.0598 का दिनांक 12.06.2023 की सीमाकंन मौका फर्द रिपोर्ट को निरस्त कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में सीमांकन कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाडा सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी किये जाने के समय आवश्यकता अनुसार पुलिस ईमदाद की व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा